एमएमटीसी की तरफ से बाहर के देश से कांदा मंगवाया है और 20 जनवरी तक वह कांदा आ जाएगा।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह कोई जवाब नही है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I would like to ask this from the hon. Minister. There are crops like palm oil which can actually give a substantially large yield compared to other crops. Does the Ministry propose to enhance or give incentives for increasing domestic production of palm oil so that we can reduce import of palm oil from Malaysia and elsewhere in the world, and give benefits to the farmers?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सरकार का बार-बार प्रयास रहा है कि घरेलू उत्पादन कैसे बढ़े। इसके लिए सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" का कार्यान्वयन किया है, उसमें कई योजनाएं, जैसे sprinkler आदि कई चीज़ों का प्रावधान किया है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। जब तक यह घरेलू उत्पादन नही बढ़ेगा, तब तक आयात करना जरूरी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 197.

किसानों का कर्ज माफ करना

*197. **श्री प्रभात झा** : क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों की वर्तमान सरकारों द्वारा किसानों के सम्पूर्ण कर्ज को माफ करने की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तीनों राज्यों द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप किसानों के सम्पूर्ण कर्ज को माफ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नही

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की वर्तमान राज्य सरकारों द्वारा घोषित की गई कर्ज माफी योजनाओं का संक्षिप्त सार और कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है:

राज्य	कर्ज माफी योजना का नाम और वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	माफ की जाने वाली कुल राशि (रू. करोड़ में)	राहत के रूप में माफ की गई राशि (रू. करोड़ में)	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख में)
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना- वर्ष 2018-19	ऐसे सभी किसान जिन्होंने किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) सहित सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से अल्पकालिक फसल ऋण लिया है और ऋण 31.03.2018 तक बकाया था, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। माफ की जाने वाली अधिकतम राशि 2 लाख रूपए तक है।	36,500.00	7,154.00	20.23
राजस्थान	(i) राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (अल्पोवधि-फसल ऋण के लिए)	वे सभी किसान जिन्होंने सहकारी बैंकों (पीएसीएस सहित) और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से अल्पकालिक फसल ऋण लिया है और यह ऋण 30.11.2018 तक बकाया था, वे इस योजना के अंतर्गत आते हैं।	—	7361.76	19.895
	(ii) राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना -2019 (मध्यम और दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए)	केवल सीमांत और छोटे किसान जिन्होंने सहकारी बैंकों (पीएसीएस सहित) से मध्यम और दीर्घकालिक कृषिऋण लिया है और ऋण 30.11.2018 तक बकाया था, इस योजना के तहत आते हैं। पहले चरण में, 30.11.2018 तक 2,00,000 रू. से कम अतिदेय ऋण राशि वाले किसानों को कवर किया गया है।	18,000.00	229.74	0.198
पंजाब	फसल ऋण माफी योजना वर्ष-2017-18	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी ऋण संस्थानों (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 2.00 लाख रूपए तक ऋण लेने वाले केवल सीमांत और छोटे किसान पात्र हैं और जिनका ऋण 31.03.2017 तक बकाया है, को इस योजना के तहत कवर किया गया है। 01.04.2017 से अधिसूचना की तारीख तक बकाया ब्याज वाले किसान भी योजना के तहत लाभ के लिए पात्र है।	10,000.00	4,501.04	5.55

Waiving off loan of farmers

†*197. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that waiving off the entire loan of the farmers was announced by the present Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Punjab;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the entire loan of farmers has been waived off as per the declaration by the said three States; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No sir.

(b) to (d) The brief of loan waiver schemes announced by the present State Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Punjab and the status of the implementation are as under:

†Original notice of the question was received in Hindi.

States	Name & Year of debt waver scheme	Brief of the scheme	Total amount to be waived off. (Rs. in crore)	Amount waived off as a relief (Rs. in crore)	No. of farmers benefited (in lakh)
Madhya Pradesh	Mukhyamantri Fasal Rin Mafi Yojana Year- 2018-19	All the farmers who have taken short-term crop loan from any scheduled commercial banks, cooperative banks including Primary Agriculture Credit Societies (PACS) and Regional Rural Banks (RRBs) and the loan was outstanding as on 31.03.2018 are eligible for the scheme. Maximum amount for waiver is upto Rs. 2.00 lakh.	36,500.00	7,154.00	20.23
Rajasthan	(i) Rajasthan Krashak Rin Mafi Yojana-2019 (For short-term crop loan)	All the farmers who have taken short-term crop loan from cooperative banks (including PACS) and Primary Land Development Banks and the loan was outstanding as on 30.11.2018, are covered under this scheme.	—	7361.76	19.895
	(ii) Rajasthan Krashak Rin Mafi Yojana-2019 (for medium and long term agri-loan)	Only the Marginal and Small farmers who have taken medium and long term agri-loan from cooperative banks (including PACS) and the loan was outstanding as on 30.11.2018, are covered under this scheme. In the first phase, farmers with overdue loan amount, less than Rs. 2,00,000/- as on 30.11.2018, have been covered.	18,000.00	229.74	0.198
Punjab	Crop Loan Waiver Scheme Year-2017-18	Only the Marginal and Small farmers are eligible for the scheme upto Rs. 2.00 lakh. Loans, taken from scheduled commercial banks, cooperative credit institutions (including urban cooperative banks) and regional rural banks, and outstanding as on 31.03.2017 is covered under the scheme. The interest outstanding from 01.04.2017 till date of notification is also eligible for benefit under the scheme.	10,000.00	4.501.04	5.55

श्री प्रभात झा: माननीय सभापति महोदय, जब चुनाव होते हैं तो घोषणापत्र में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन किसान इस देश की आत्मा है और उसके बारे में जो लिखा जाता है - तीन राज्य हैं, जिनका मुझे उत्तर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ माफ होना था, लेकिन वहां पर 7 करोड़, 15 लाख, 4000 का कर्ज़ माफ हुआ है। इसी तरह से राजस्थान में 8,000 करोड़ का कर्ज़ माफ होना था, वहां पर 2 करोड़, 29 लाख का कर्ज़ माफ हुआ है और पंजाब में 10,000 करोड़ का कर्ज़ माफ होना था, वहां पर सरकार को तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 4,000 करोड़ का कर्ज़ माफ किया गया है। यह अन्याय है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है और सुझाव भी है, ...**(व्यवधान)**... यह किसानों का प्रश्न है कि क्या किसानों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी ..

श्री उपसभापति: सुझाव की जगह सवाल पूछें।

श्री प्रभात झा: यह सवाल ही है। अगर सरकारी स्तर पर यह होता है तो क्या इसका कोई उपाय है, क्या आप इसकी monitoring करेंगे, सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी?

श्रीमती विप्लव ठाकुर: आपके तो सारे वायदे पूरे हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... अच्छे दिन आ गए हैं।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय महोदय का सवाल ऋण से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है - वास्तव में किसान के लिए अगर देखा जाए, तो जब चुनाव आता है, उस समय इस तरह की घोषणाएं होती हैं। जैसा हमने विभाग से पता किया है, जब कोई आपदा आती है, उस समय किसान को ऋण माफी की आवश्यकता होती है। उस समय लगभग यह देखा जाता है कि राज्य सरकार कही-कही ऐसा नही करती हैं, लेकिन 10 बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से just पहले कुछ सरकारें ऋण माफी की घोषणाएं करती हैं, उसके बाद वे उसको implement करती हैं या नही करती हैं, वह राज्य सरकार का विषय है। मेरा कहना है कि जिस तरह ऋण माफी का संबंध है, जैसा अभी सरकार की तरफ से जवाब में भी दिया गया है और वास्तव में मैं इनको बताना चाहूंगा कि 80 हजार किसान मध्य प्रदेश में थे, वहां पर सिर्फ 20 हजार किसानों का ऋण माफ हुआ है। वही अगर पंजाब की बात करें, तो 34 लाख किसान थे, उनमें से 5 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। ...**(व्यवधान)**... इसी तरह अगर राजस्थान की बात करें, तो वहां जो 79 लाख किसान थे, उनकी जगह पर 20 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखें। सीट पर बैठकर न बोलें।

श्री कैलाश चौधरी: मैं तो यह कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ चुनाव के समय में ऐसा करना, उनके साथ छलावा करने जैसा है। मेरा तो इतना ही कहना है कि किसानों के लिए ऋण माफी एक अंतिम हल नही होता है। हमारी सरकार जो चाहती है...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति जी, हमारी सरकार चाहती है कि किसान को इतना समृद्ध करना है...

श्री उपसभापति: आप जवाब briefly दें। दूसरा सप्लीमेंटरी।

श्री प्रभात झा: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का उपयुक्त एवं अपेक्षित रूप से क्रियान्यवन हो रहा है? मेरी जानकारी में ऐसा नही हो रहा है।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश के लिए, किसानों के लिए हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार एक ऐसी योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना तय किया गया है। उसके अंदर यह पैसा किसानों के खाते में सीधा जाता है। इसके अंदर माननीय सदस्य ने पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कही है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो किसानों की टोटल संख्या है, वह 1 करोड़ और 8 हजार है और उनमें से 45 लाख किसानों के खातों में पैसा गया है। अगर राजस्थान की बात करें, तो विभाग के पास वहां किसानों की संख्या 76 लाख और 5 हजार है और उनमें से 45 लाख किसानों के खातों में पैसा पहुंचा है। जब तक राज्य सरकार वहां से आंकड़े केंद्र सरकार को नही भेजती है, तब तक केंद्र सरकार उनके खातों में पैसा नही भेज सकती है। दूसरा, एक स्टेट और है, जो कि West Bengal है, जहां से एक भी आंकड़ा अभी हमारे पास नही पहुंचा है, जिससे कि सीधा किसानों के खाते में 6,000 रुपये पहुंच सकें। इस तरह से जब West Bengal और अन्य राज्यों सरकारों के आंकड़े आ जाएंगे, केंद्र सरकार उनको पैसा देने के लिए तैयार है, तब उनके किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री उपसभापति: माननीय चेयरमैन साहब ने अपेक्षा की है कि कृपया आपके जवाब बहुत ब्रीफ हों।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जो पीएम किसान के विषय में पूछ रहे थे, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस योजना का क्रियान्वयन पश्चिमी बंगाल को छोड़कर पूरे देश में ठीक प्रकार से हो रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब हैं, इन तीनों राज्यों ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया है और उनके किसानों के आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। अभी साढ़े सात करोड़ किसानों को यह राशि भुगतान की जा चुकी है और पांच करोड़ किसान ऐसे हैं, जो लगभग आधार से लिंक हो गए हैं। हम इस महीने में उनकी राशि को disburse करेंगे।

प्रभात जी, जो ऋण माफी के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपके माध्यम से उन्हें और सदन को आग्रह करना चाहता हूं कि आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि ऋण माफी से किसान खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो इतिहास देखा गया है, उसके आधार पर ऋण माफी से किसान कभी भी खुशहाल नही हुआ है। माननीय मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उनके समय में भी एक बड़ी कर्ज माफी की गई थी और उसके बाद भी लगातार कर्ज माफी की बात की जा रही है। यह किसी दल की सरकार का प्रश्न नही है। जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है और वह अगर कोई घोषणा करती है, तो उसका पालन करने के लिए वही जिम्मेवार है। इसमें केंद्र कुछ करने की स्थिति में नही है। मैं यह जरूर मानता हूं कि किसान को सशक्त करना है, तो जो पीएम किसान जैसी योजनाएं हैं और एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाया गया, जिससे उसका उत्पादन बढ़े, उसकी उत्पादकता बढ़े और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका मार्गदर्शन हो, यह सरकार को करना चाहिए और कर रही है।

कुमारी शैलजा: उपसभापति महोदय, देश के अधिकतर किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार पूरे देश के गरीब किसानों को, जो वित्तीय संकट से पीड़ित हैं, उनके ऋण माफ करने की कोई योजना लायेगी ? जिस तरह से यूपीए सरकार के समय में किसानों का 72 हजार करोड़ रुपया कर्ज का माफ किया गया और किसान की आमदनी कब तक सरकार दोगुनी कर देगी, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या ने किसानों की कर्जा माफी करने के विषय में प्रश्न पूछा है, तो इस संबंध में मेरे वरिष्ठ मंत्री जी ने भी बताया है कि कर्जा माफी अंतिम हल नही है। हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों की आमदनी को डबल करने की योजना बनाई है, किसानों की आमदनी को डबल करने का जो लक्ष्य लिया है, वह 2022 का है। जिस तरीके से कृषि विभाग काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। हम तो आने वाले समय में यह चाहते हैं कि किसान को इतना मजबूत किया जाए कि किसान को ऋण लेने की आवश्यकता ही नही पड़े, बल्कि किसान स्वयं दूसरों को ऋण देने की स्थिति में आए। यह हमारी सरकार करेगी।

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sk, India is an agricultural country; the largest employment-provider and also contributes significantly to the GDP. But, owing to the monsoon failure and natural disasters, the farmers are undergoing a very big stress and considering that, some States like Rajasthan, Madhya Pradesh and Punjab have waived their loans. Sir, other than the schemes which the Union....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask the question.

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, Sir, I am coming to the question. Sir, other than the schemes which the Union Government is extending to the farmers, there are thousands

[Shri Tiruchi Siva]

of farmers who have committed suicides because of farm loans. So, waiving off farm loan would give relief to those poor farmers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, please put your question.

SHRI TIRUCHI SIVA: So, I would request the Union Government whether it would consider on the same lines as that of the UPA Government that it would waive the farmers' loans across the country to relieve them of their woes and plight. Thank you very much.

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से सहायता के रूप में 6,000 रुपये 'किसान सम्मान निधि' के तौर पर देने की पहली बार योजना प्रारम्भ की, इस योजना से किसान को सीधे लाभ मिलता है। इसी तरह से किसान के लिए आने वाले समय में हमने किसान को मजबूत करना है, किसान की इनकम बढ़ानी है। कोई भी सरकार आएगी, वह किसान का एक बार ऋण माफ करेगी। फिर दूसरी बार कोई सरकार आएगी, तो किसान वापस कर्जदार होगा और वह फिर किसान का ऋण माफ करेगी। फिर किसान कर्जदार होगा, क्या जीवन भर किसान ऋणदाता बना रहेगा? हम किसान को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए सरकार उनके लिए काम कर रही है।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से किसान के लिए स्टैप्स तो बहुत लिए गए हैं और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान की प्रॉब्लम खत्म नही हुई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो "किसान सम्मान निधि' योजना किसान के लिए बनाई है, उसकी जो रिपोर्ट नीचे से आती है, वह कहां से तस्दीक कराया जाता है कि यह किसान इसका हकदार है और वह सहायता किसान को मिले? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई जाली फिगर्स आ रही हैं, इसको रोकने के लिए और सही रिपोर्ट जेनरेट हो, इसके लिए क्या सही मापदंड है, जहां से वह रिपोर्ट ली जाती है, ताकि सही किसान को सहायता मिल सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान ऋण के चक्रव्यूह में न फंसे, इसके लिए ब्याज माफी के बजाय, क्या जीरो परसेंट पर किसान को ऋण दिया जायेगा?

श्री कैलाश चौधरी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक तो ब्याज की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान को सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रही है। अगर किसान समय पर पूरा ऋण वापस कर देता है, तो उसके बाद उसे तीन प्रतिशत ब्याज में और छूट मिलती है, उसके बाद उसे सिर्फ चार प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो किसान के ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज हम और कम करते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि किसान को ब्याज में छूट मिल जाती है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स

तो किसानों से ऋण पर ब्याज लेते ही नहीं हैं। इस तरह से इस योजना में सरकार आने वाले समय में किसानों के लिए जो अच्छा होगा, वह कार्य करेगी।

MR. DEPUTY CHARMAN: Now, Question No. 198.

Decline in net returns to farmers

*198. SHRI K.K. RAGESH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether the net returns to farmers for crops like paddy, sugarcane, maize and cotton have actually declined in the past three years; and

(b) if so, the details of decline in respect of these crops in the last five years, year-wise and crop-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government announces Minimum Support Prices (MSPs) for 22 mandated agricultural crops including paddy, maize, cotton and fair and remunerative price (FRP) for sugarcane on the basis of recommendations of Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP). The MSP provides adequate margin over all India weighted average cost of production. The Union Budget 2018-19 had announced a pre-determined principle to fire the MSP at 1.5 times of the cost of production. Accordingly, Government had increased the MSP of all mandated crops of 2018-19 including paddy, maize and cotton with a return of atleast 50 per cent over all India weighted average cost of production. Increase in MSP for kharif and rabi crops of 2019-20 is also in line with the principle of providing at least 50 per cent return over all India weighted average cost of production. FRP of sugarcane has been fixed by providing reasonable margins for the growers of sugarcane on account of risk and profits. The details regarding return over cost of production for last five years for above mentioned crops (as per marketing season) are given below: